

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 37/2021

दायर दिनांक: 16.02.2021

उनवान

1. बद्रीलाल आयु 62 वर्ष पुत्र गोपाल जाति कलाल निवासी रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

वादी

बनाम

1. कमलप्रसाद आयु 70 वर्ष पुत्र गोपाल जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो० खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. गुड्डी बाई आयु 45 वर्ष पत्नि स्व० केलाशचन्द जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो० खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. पूजा आयु 25 वर्ष पुत्री केलाशचन्द जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो० खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. ममता आयु 21 वर्ष पुत्री केलाशचन्द जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो० खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. सत्यनारायण नाबालिग पुत्र केलाशचन्द सरंक्षक सरपरस्त माता गुड्डी बाई जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो० खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
6. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
7. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनांक 20/04/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 26 के ख0न0 1035 का रकबा 0.35 है0, ख0न0 1049 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 400/1154 का रकबा 0.02 है0, ख0न0 409 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 410 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 411 का रकबा 0.01 है0, ख0न0 412 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 413 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 414 का रकबा 0.07 है0, ख0न0 417 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 418 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 419 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 420 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 421 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 422 का रकबा 0.03 है0, ख0न0 423 का रकबा 0.36 है0, ख0न0 425 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 426/1180 का रकबा 0.11 है0, ख0न0 427/1177 का रकबा 0.12 है0, ख0न0 528 का रकबा 1.15 है0, ख0न0 531/1260 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 532 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 22 का रकबा 3.55 है0 भूमि का निर्णय दिनांक 04.04.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था जिसकी अनुपालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/852 दिनांक 12.04.2023 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः ग्राम एवं माल रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां की विवादित आराजी ख0न0 1035 का रकबा 0.35 है0, ख0न0 1049 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 400/1154 का रकबा 0.02 है0, ख0न0 409 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 410 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 411 का रकबा 0.01 है0, ख0न0 412 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 413 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 414 का रकबा 0.07 है0, ख0न0 417 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 418 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 419 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 420 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 421 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 422 का रकबा 0.03 है0, ख0न0 423 का रकबा 0.36 है0, ख0न0 425 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 426/1180 का रकबा 0.11 है0, ख0न0 427/1177 का रकबा 0.12 है0, ख0न0 528 का रकबा 1.15 है0, ख0न0 531/1260 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 532 का रकबा 0.10 है0

कुल किता 22 का रकबा 3.55 है0 भूमि का तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

I. बद्रीलाल पुत्र गोपाल जाति कलाल के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	बद्रीलाल पुत्र गोपाल जाति कलाल सा0 देह खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी-	400 / 1154	0.02 है0	नहरी-2	0.34
		409	0.06 है0	नहरी-2	1.02
		410	0.05 है0	नहरी-2	0.85
		411	0.01 है0	नहरी-2	0.17
		412	0.06 है0	नहरी-2	1.02
		413	0.09 है0	नहरी-2	1.55
		414	0.07 है0	नहरी-2	1.19
		417	0.04 है0	नहरी-2	0.68
		418	0.05 है0	नहरी-2	0.85
		419	0.04 है0	नहरी-2	0.68
		420	0.09 है0	नहरी-2	1.53
		421	0.26 है0	नहरी-2	4.42
		422	0.03 है0	नहरी-2	0.51
		423	0.36 है0	नहरी-2	6.12
		425	0.09 है0	नहरी-2	1.53
		426 / 1180	0.11 है0	नहरी-2	1.87
		427 / 1177	0.12 है0	नहरी-2	2.04
		531 / 1260	0.20 है0	बरानी उत्तम	3.00
		532	0.10 है0	बरानी उत्तम	1.50
1049	0.20 है0	नहरी-2	3.40		
1035 पूर्व	0.08 है0	नहरी-2	1.36		
	कुल किता 21	2.13 है0	-	35.63	

II. कमल प्रसाद पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 जाति कलाल, सत्यनारायण नाबा. पुत्र केलाशचन्द, पूजा, ममता पुत्रियां, गुड्डी बाई पत्नि स्व0 केलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति कलाल सा देह खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	कमल प्रसाद पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 जाति कलाल, सत्यनारायण नाबा. पुत्र केलाशचन्द, पूजा, ममता पुत्रियां, गुड्डी बाई पत्नि स्व0 केलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति कलाल सा देह खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी :-	1035 पश्चिम 528	0.27 है0 1.15 है0	नहरी-2 बरानी उत्तम	4.59 17.25
		किता- 2	1.42 है0	-	21.84

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 37/2021

दायर दिनांक: 16.02.2021

उनवान

1. बद्रीलाल आयु 62 वर्ष पुत्र गोपाल जाति कलाल निवासी रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादी

बनाम

1. कमलप्रसाद आयु 70 वर्ष पुत्र गोपाल जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो0 खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां।
2. गुड्डी बाई आयु 45 वर्ष पत्नि स्व0 केलाशचन्द जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो0 खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. पूजा आयु 25 वर्ष पुत्री केलाशचन्द जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो0 खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां।
4. ममता आयु 21 वर्ष पुत्री केलाशचन्द जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो0 खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां
5. सत्यनारायण नाबालिग पुत्र केलाशचन्द सरंक्षक सरपरस्त माता गुड्डी बाई जाति कलाल निवासी रतनपुरा पो0 खेड़लीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में ख0न0 1035 का रकबा 0.35 है0, ख0न0 1049 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 400/1154 का रकबा 0.02 है0, ख0न0 409 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 410 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 411 का रकबा 0.01 है0, ख0न0 412 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 413 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 414 का रकबा 0.07 है0, ख0न0 417 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 418 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 419 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 420 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 421 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 422 का रकबा 0.03 है0, ख0न0 423 का रकबा 0.36 है0, ख0न0 425 का रकबा 0.09 है0, ख0न0 426/1180 का रकबा 0.11 है0, ख0न0 427/1177 का रकबा 0.12 है0, ख0न0 528 का रकबा 1.15 है0, ख0न0 531/1260 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 532 का रकबा 0.10 है0 कुल कित्ता 22 का रकबा 3.55 है0 भूमि का तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. बद्रीलाल पुत्र गोपाल जाति कलाल के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1.	बद्रीलाल पुत्र गोपाल जाति कलाल सा० देह खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी-	400 / 1154	0.02 है०	नहरी-2	0.34
		409	0.06 है०	नहरी-2	1.02
		410	0.05 है०	नहरी-2	0.85
		411	0.01 है०	नहरी-2	0.17
		412	0.06 है०	नहरी-2	1.02
		413	0.09 है०	नहरी-2	1.55
		414	0.07 है०	नहरी-2	1.19
		417	0.04 है०	नहरी-2	0.68
		418	0.05 है०	नहरी-2	0.85
		419	0.04 है०	नहरी-2	0.68
		420	0.09 है०	नहरी-2	1.53
		421	0.26 है०	नहरी-2	4.42
		422	0.03 है०	नहरी-2	0.51
		423	0.36 है०	नहरी-2	6.12
		425	0.09 है०	नहरी-2	1.53
		426 / 1180	0.11 है०	नहरी-2	1.87
		427 / 1177	0.12 है०	नहरी-2	2.04
		531 / 1260	0.20 है०	बरानी उत्तम	3.00
		532	0.10 है०	बरानी उत्तम	1.50
		1049	0.20 है०	नहरी-2	3.40
1035 पूर्व	0.08 है०	नहरी-2	1.36		
	कुल कित्ता 21	2.13 है०	-	35.63	

- II. कमल प्रसाद पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 जाति कलाल, सत्यनारायण नाबा. पुत्र केलाशचन्द, पूजा, ममता पुत्रियां, गुड्डी बाई पत्नि स्व० केलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति कलाल सा देह खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1.	कमल प्रसाद पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 जाति कलाल, सत्यनारायण नाबा. पुत्र केलाशचन्द, पूजा, ममता पुत्रियां, गुड्डी बाई पत्नि स्व० केलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति कलाल सा देह खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी :-	1035 पश्चिम	0.27 है०	नहरी-2	4.59
		528	1.15 है०	बरानी उत्तम	17.25
		कित्ता- 2	1.42 है०	-	21.84

तहसीलदार अट्रू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अट्रू जिला बारां (राज०)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.04.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)